देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

E-Newsletter, Issued in Public Interest

रेफरेंस संख्या –2019/MMP/11

रविवार, 16 जून 2019

Part –3

अवैध निर्माणों के विरुद्ध आम जन का मिशन मास्टर-प्लान

बाहुबली शराब ठेकेदार के रसूख के चलते मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन ने शुरू की नयी परिपाठी!!

अवैध निर्माण पर खुद कार्यवाही करने की बजाय आबकारी विभाग को कार्यवाही करने को किया अनुरोध!!!

जे.डी.ए. ज़ोन-7 में गांधी पथ,चित्रकूट सेक्टर 2 में भूखंड संख्या 2/1-ए ,सेक्टर-2,चित्रकूट गाँधी पथ पर बिना अनुमति व्यवसायिक गतिविधियों(शराब की दूकान) का मामला

शहर में हो रहे अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों के विरुद्ध प्रकरणों को जे.डी.ए. की प्रवर्तन शाखा में तैनात पुलिस विभाग के अधिकारी कैसे फ़ुटबाल बनाते है, इसका नमूना देखना हो तो जे.डी.ए. ज़ोन-7 में गांधी पथ,चित्रकूट सेक्टर 2 में भूखंड संख्या 2/1-ए ,सेक्टर-2,चित्रकूट गाँधी पथ पर बिना अनुमति चलने वाली शराब की दूकान का ही देख लीजिये,जहाँ प्रवर्तन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह बांगड़वा के पास ज़ोन कार्यालय से अवैध निर्माण की पुख्ता रिपोर्ट आने के बाद भी नया दांव खेलते हुए,आवासीय भूखंड पर बिना अनुमति व्यवसायिक गतिविधियों के लिए आबकारी विभाग को ही जिम्मेदार ठहराते हुए आबकारी विभाग को ही उचित कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखने के लिए,अपने उच्चाधिकारियों को तैयार कर लिया और बॉल आबकारी विभाग के पाले में डाल दी|

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन ने स्वीकारी यह दूकान अवैध, परन्तु खुद कार्यवाही की बजाय आबकारी कार्यालय को भेजा अनुरोध

जे.डी.ए. ज़ोन-7 में गांधी पथ,चित्रकूट सेक्टर 2 में भूखंड संख्या 1-ए में चलती शराब की दूकान

आश्चर्य की बात यह है कि शुद्ध मंशा,जवाबदेही,पारदर्शिता और कर्तव्य-निष्ठा की बात कहने वाले जे.डी.ए. के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री रघुवीर सैनी द्वारा ही यह दोषपूर्ण कार्यवाही की गयी है|जिला आबकारी अधिकारी,जयपुर शहर को अपने लिखे पत्र में उन्होंने स्वयं माना है कि उक्त भूखंड पर व्यावसायिक गतिविधियों की स्वीकृति जे.डी.ए. द्वारा जारी नहीं की गयी है जे.डी.ए. की अनुमति एवं स्वीकृति के बिना आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक उपयोग करना अवैध है|परन्तु इसके बावजूद स्वयं द्वारा अवैध निर्माणकर्ता को कोई नोटिस/सुचना जारी नहीं करते हुए,आबकारी विभाग को ही आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया|

ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह बांगड़वा कार्यवाही की बजाय निरंतर गुमराह कर रहे है अपने उच्चाधिकारियों को|

ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह बांगड़वा अपने व्यक्तिगत हित के लिए नहीं चाहते कि इस अंग्रेजी शराब की दूकान पर जे.डी.ए. कोई कार्यवाही करे इसलिए वह निरंतर अपने उच्चाधिकारियों को यह समझाने में सफल भी हुए है कि अंग्रेजी शराब की दूकान को बंद करना आबकारी विभाग का काम है जे.डी.ए. का नहीं|जबकि शायद वह भूल गए है कि उनकी जिम्मेदारी जे.डी.ए. के कानूनों की पालना सुनिश्चित करना है ना कि आबकारी विभाग की|

मंत्रीजी के समान न्याय के आदेश एक महीने में ही फेल

ऐसा तब हो रहा है जबकि इसी जोन-7 में हुए गड़बड़झाले के लिए मंत्री महोदय श्री शांति धारिवाल ने जे.डी.ए. के बड़े अफसरों को लताड़ लगाई थी और अवैध निर्माणों के खिलाफ समान कार्यवाही करने की नसीहतें घोट-घोट कर पिलाई थी|परन्तु इसके बावजूद प्रवर्तन विभाग की यह दोषपूर्ण कार्यवाही शक के घेरे में है और अधिकारियों की शुद्ध मंशा,कर्तव्य-निष्ठा और जवाबदेही पर प्रश्नचिन्ह लगाती है|

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–जविप्रा/मुनिप्र/2019/डी–1355 दिनांक–31-5-19

सेवामें,

श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी,
जयपुर शहर, जयपुर।

विषयः– भू.सं–2/1–ए चित्रकुट, गॉधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर में संचालित शराब की दुकान के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त आवासीय भूखण्ड पर संचालित शराब की दुकान के बाबत शिकायत प्राप्त होने पर उपायुक्त जोन–07 के कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड पर व्यवसायिक उपयोग की स्वीकृति जविप्रा द्वारा जारी नहीं की गयी है। उक्त भूखण्ड पर आपके कार्यालय के पत्र कमांक–14748 दिनांक–05.03.2019 द्वारा अनुज्ञाधारी श्रीमती कुसुम भण्डारी व सरिता राजवंशी के नाम से भारत निर्मित विदेशी मदिरा/ बीयर की दुकान संचालन का लाईसेंस जारी किया गया है। जविप्रा की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के आवासीय भूखण्ड पर व्यवसायिक उपयोग किया जाना अवैध है। अतः उक्त दुकान के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र सादर प्रेषित है।

भवदीय

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन 31/5/19
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2575151 ,एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

श्रीमान मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन द्वारा जिला आबकारी अधिकारी को लिखा गया पत्र,जिसमे अवैध दुकान के खिलाफ कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है|

आबकारी विभाग का काम शराब बेचना या अवैध निर्माण पर कार्यवाही करना?

शायद मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन यह भूल गए है जे.डी.ए. और आबकारी दोनों अलग अलग विभाग है|आबकारी विभाग का काम देशी व अंग्रेजी शराब बेचना और मद्द संयम निति का कढाई से पालना कराना है,ना कि अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही करना|आबकारी विभाग अधिक से अधिक लाईसेंसी को अन्यंत्र दुकान स्थानांतरित करने का सुझाव दे सकता है यदि जे.डी.ए. ने अनुज्ञाधारी या भूखंड मालिक को नोटिस अंतर्गत धारा 32,33,34 (क) दिया हो और सीलिंग की कार्यवाही होने का खतरा हो|राज्य सरकार के आदेशानुसार अवैध निर्माणों को सील करने का अधिकार केवल जे.डी.ए. या अन्य नगरीय निकायों को ही है|

ध्यान से पढ़िए महोदय,सीलिंग एक्ट में जे.डी.ए. लिखा है,आबकारी नहीं|

Government of Rajasthan
Urban Development and Housing Department

F.3 (1632)/UDH/3/2010 Jaipur Dated: 4 APR 2011

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 95 read with section 34-A of the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Jaipur Development Authority (Sealing of Unauthorized Development) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(i) "**Act**" means the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act. No. 25 of 1982);
(ii) "**Authority**" means the Jaipur Development Authority established under section 3 of the Act; and
(iii) "**Section**" means section of the Act.

(2) Word or expression used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Order of sealing.**- (1) The Authority, may pass an order in writing for sealing of unauthorized development under section 34-A and such order shall be served in the manner provided under section 86.

(2) The order passed under sub-rule (1) shall contain the following:-
(i) necessity, justification and reasons of sealing of un-authorized development; and
(ii) nature, extent and gravity of un-authorized development.

4. **Sealing of unauthorized development.**- The sealing under sub-section (1) of section 34-A shall be made in the following manner, namely:-

(i) by affixing the office seal on outer door or opening of the development after all other outlets and inlets to the development have been properly bolted, locked or encircled with rope, wire or wire mesh.

(ii) where doors and windows have not been fixed to the development or where the development is of such a nature that it cannot be encircled with rope, wire or wire-mesh, in that case such development shall be covered by wooden planks, iron or cement sheets and office seal affixed in a manner that no person can enter into or upon the development without tempering the office seal.

(iii) where any development is found locked, the lock may be broken open or any door, gate or any other barrier caused to be opened and inventory of the articles found in the premises shall be prepared in the presence of the owner or occupant or his representative and if the owner or occupant or his representative is not present at the site then inventory shall be prepared in the presence of the two independent witnesses.

(iv) before sealing of un-authorized development the person in occupation or owner of the development may be allowed to remove valuables or necessary articles required for livelihood from the premises to be sealed.

By order of the Governor,

(**Nishkam Diwakar**)

Deputy Secretary to the Government

यही रवैया रहा तो कैसे ध्वस्त करेंगे अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट बार को

जब मुख्य नियंत्रक महोदय को एक शराब की दूकान पर कार्यवाही करने के लिए आबकारी विभाग को अनुरोध करने पड़ रहे है तो सोच सकते है कि शहर में फैले अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट बारों के खिलाफ कार्यवाही करने में उनको कितने अनुरोध करने पड़ेंगे?क्यूंकि अधिकांश अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट बारों के पास आबकारी विभाग का लाईसेंस है और जे.डी.सी. महोदय द्वारा इन अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट बारों के खिलाफ भी कार्यवाही करने के निर्देश है,जिनकी पालना प्रवर्तन विभाग की जिम्मेदारी है|

यह कैसी परिपाटी शुरू की मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन ने?क्या अब हर लाईसेंस /फ्रेंचाईजी देने वाले से कहेंगे अवैध निर्माणों पर कार्यवाही करने के लिए?

इस शराब की दूकान के लिए आबकारी विभाग से अनुरोध कर श्रीमान मुख्य नियंत्रक महोदय द्वारा एक नयी परिपाठी शुरू कर, नए विवाद को जन्म दिया है|अगर मान लिया जाए कि आबकारी विभाग को अनुरोध करने पर वह इस शराब लाईसेंसी को अन्यंत्र दूकान शिफ्ट करने को कह दे और इस दूकान से शराब की दूकान हट जाती है परन्तु अपनी आमदानी के लिए, मकान मालिक RUPA/JOCKEY/VIP के चड्डी बनियान/अंडर गारमेंट्स बेचने वाली कम्पनी को यह जगह किराये पर दे देता है तो क्या मुख्य नियंत्रक महोदय RUPA/JOCKEY/VIP जैसी अन्य कम्पनियों से अनुरोध करेंगे की वह इस अवैध निर्माण में अपनी फ्रेंचाईजी नहीं देवें या यदि इस जगह सब्जी की दूकान लगा लेता है तो क्या वह खेत मालिक से अनुरोध करेंगे कि वह इस दूकान के लिए अपनी फसल नहीं बेचें|

अवैध निर्माणों को बचाने के लिए अब क्या क्या करेंगे मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महोदय??

देखा जाए तो शहर में बने हर अवैध निर्माण/अतिक्रमण में किसी ना किसी लाईसेंस के तहत व्यवसाय को संचालित लिया जा रहा है चाहे वो फ़ूड लाईसेंस,फायर NOC ,औषधि नियंत्रक संगठन का मेडिकल की दुकानों हेतु,लाईसेंस या नगर निगम की लाईसेंस समिति द्वारा विभिन्न व्यवसायों के लिए दिए जाने वाले अन्य लाईसेंस हो |यदि मुख्य नियंत्रक महोदय का यही रवैया रहा तो शायद प्रवर्तन विभाग का किसी अवैध निर्माण को सील करना ही नामुमकिन हो जाएगा|आईये देखते है अब विभाग के सभी प्रवर्तन अधिकारी हमारे मुख्य नियंत्रक महोदय से क्या-क्या अनुरोध करवाएंगे:-

1. यदि किसी आवासीय परिसर में बिना अनुमति होटल/रेस्टोरेंट चल रही हो तो क्या नगर निगम /CMHOको कार्यवाही करने के लिए अनुरोध करेंगे क्यूंकि उसके पास नगर निगम/CMHO का फ़ूड लाईसेंस है?
2. यदि किसी आवासीय परिसर में बिना अनुमति छोटा-मोटा व्यवसाय चल रहा हो तो क्या उद्योग विभाग से कार्यवाही करने के लिए अनुरोध करेंगे क्यूंकि उद्योग विभाग ने उसे व्यापार करने की अनुमति दी है?
3. यदि किसी आवासीय परिसर में बिना अनुमति मेडिकल शॉप का संचालन किया जा रहा हो तो क्या औषधि नियंत्रक संगठन से कार्यवाही के लिए अनुरोध करेंगे?

हे रघुवीर!!!कब होगा न्याय??

प्रवर्तन विभाग के ऐसी दोषपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण कार्यवाहियों से आम जन का पुलिस की तरह जे.डी.ए. से भी विश्वास उठने लगा है,यदि मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महोदय आम जन में विश्वास,अवैध निर्माणकर्ताओं में भय की भावना विकसित करना चाहते है तो उन्हें शुद्ध मंशा,जवाबदेही,पारदर्शिता और कर्तव्य-निष्ठा के साथ समान न्याय के सिद्धांत पर भी बल देना होगा|

क्यूंकि यदि रघुवीर ही रूठ गए तो भक्तों की कौन सुनेगा?